फा.सं. 4/2/2014-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 16 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- एफआर 49 के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग ने एफआर 49 के प्रावधानों को जनहित में लागू करना सुनिश्चित करने और एफआर की भावना को बनाए रखने की दृष्टि से इसकी समीक्षा की। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए मामलों पर कार्रवाई करने के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए-

(i) एफआर 49 के प्रावधान सरकारी सेवकों पर ही लागू होते हैं। किसी स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि के किसी कर्मचारी की, ऐसे ही किसी अन्य निकाय में नियुक्ति संबंधित नियोक्ता के नियमों द्वारा अभिशासित होगी।

(ii) एफआर 49 के प्रावधान उन मामलों पर लागू होते हैं जहां सरकारी सेवक द्वारा धारित पद और वह पद जिस पर उसकी नियुक्ति की जाती है सरकार के अधीन हैं।

(iii) एफआर 49 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों इत्यादि के पदों पर अतिरिक्त प्रभार धारण करने के लिए अतिरिक्त वेतन की अनुमति नहीं है।

(iv) एफआर 49 के अधीन की गई नियुक्तियों में अल्प अवधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एफआर की भावना का पालन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन प्रावधानों का प्रयोग पदोन्नति के स्थान पर पदोन्नति लाभ देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से न किया जाए।

(v) 'प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता- पदों को समाप्त करने के लिए दिशानिर्देश' के संबंध में दिनांक 27 मार्च, 2001 के का.ज्ञा. 7(4) व्य.सम.(I)/2001 के साथ पठित दिनांक 3 मई, 1993 के का.ज्ञा. 7(7)/व्य.सम./93 द्वारा जारी वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का इस संबंध में ध्यान रखा जाए ताकि पदों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने से पूर्व जहां भी आवश्यक हो, पद के पुनःप्रवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

(vi) जबकि एफआर 49 की भाषा किसी उच्च पद पर नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है, सरकारी सेवक को अगले ऊपरी पद या पद सोपान में अगले पद पर नियुक्ति की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के बिना ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

(vii) यद्यपि एफआर 49(i) के अधीन शामिल की गई नियुक्तियां, पदोन्नति नहीं है, फिर भी इस प्रकार से नियुक्त सरकारी सेवक को उच्चतर पद का वेतन प्राप्त होता है। जबकि ऐसी अंतःकालीन व्यवस्था करते समय, वरिष्ठता की दृष्टि से ही निर्णय लेना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जहां तक

संभव हो किसी विभाग में निचला पद धारण करने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को ऐसे नियुक्त किया जाए। किसी पद से संबंधित कार्यों को करने के लिए किसी अधिकारी की उपयुक्तता का भी आकलन किया जाना चाहिए। यदि किसी पद के लिए किसी विशिष्ट दक्षता/अनुभव/प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति की ही नियुक्ति की जानी चाहिए।

(viii) ऐसे किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाना चाहिए जिस पर अनुशासनिक कार्रवाई चल रही हो या वह उपयुक्त न हो (उदाहरण के लिए हाल ही में जिसकी एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई हो)।

(ix) किसी पद पर नियुक्ति के आदेश, उस नियुक्ति को करने में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही जारी किए जाने चाहिए।

3. अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाए।

अशोक कुमार जैन

(ए.के. जैन)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में :-

(i) मानक सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

(ii) एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग- इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर "नया क्या है" के अधीन और साथ ही "का.ज्ञा. और आदेश" के अधीन अपलोड करने के अनुरोध सहित।